उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-67/2017/133/92-2-2017-113जॉच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 09 मई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती के कार्यकाल में अधीक्षण अभियंता पद के दायित्व के प्रति सजग न रहने, विभागीय छवि धूमिल करने के साथ-साथ निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने की चल रही प्रक्रिया को अनावश्यक रूप में स्थगित करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-56/2016/1664/92-2-2016-113जांच/2016 दिनांक 27-09-2016 द्वारा श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती सम्प्रति परिमण्डल-गोरखपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के दिनांक 28-02-2017 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुए विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के स्थान पर श्री जितेन्द्र राम त्रिपाठी, विशेष सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन को एतद्द्वारा पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-67/2017/133 (1)/92-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/जितेन्द्र राम त्रिपाठी, विशेष सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन को पूर्व जॉच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन से प्राप्त सभी मूल अभिलेख संलग्नक सहित संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण की नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती सम्प्रति परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- उपसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।